(7) महिलाओं के लिये रोजगार–सह–आयोत्पादक प्रशिक्षण, स्वावलम्बन

उद्देश्य महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करके उनके लिये रोजगार सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

पात्रता सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्व विद्यालयों, स्वयं सेवी संस्था जो सोसाईटी अधिनियम 1860 अथवा राज्य सरकार के समतुल्य अधिनियम के अर्न्तगत पिछले तीन वर्षो से अधिक समय से पंजीकृत हो।

सहायता गैर पारम्परिक तथा पारम्परिक व्यवसायों के अतिरिक्त इलैक्ट्रोनिक्स, घडियां बनाना, कम्प्यूटर, सिले सिलाए वस्त्र तैयार करना आदि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उक्त संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त कर राज्य स्तरीय सशक्तिकरण समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। संस्थाओं को अधिकतम मु0 8000/–(आठ हजार रुपए) प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रति लाभार्थी 250/–रु0 प्रति मास स्टाईफंड दिए जाने का भी प्रावधान है।

प्रकिया पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, महिला विकास को भेज सकती है।

सम्पर्क–अधिकारी सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी(आई0सी0डी0एस0)/बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 महिला विकास निगम।